By-Mail

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक– 47 दिनांक– 03/07/2025

संशोधित कार्यालय आदेश

1– मैं **मुकेश चावला,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही बी.एन.एस.एस. की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **जुलाई, 2025** में होने वाले निम्न राजपत्रित अवकाश हेतु सम्पूर्ण सिरोही जिले के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों से संबंधित आवश्यक कार्य यथा अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी/प्रोटोकोल, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अतिआवश्यक बयान, मृत्युकालिक कथन, इन्कवेस्ट आदि कार्य हेतु इस कार्यालय के कार्यालय **आदेश क्रमांक 46 दिनांक 02.07.2025** में **संशोधन** करते हुए निम्न न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी उनके नाम के आगे अंकित दिवस में पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक लगाई जाती है :–

क्र. सं.	अवकाश की दिनांक	नाम अधिकारी	न्यायालय का नाम
01	06.07.2025	श्री अक्षत वर्मा	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय पिंडवाड़ा
02	12.07.2025 13.07.2025	श्रीमती वीना सुवालका	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही
03	20.07.2025	श्री अंकुश भदोरिया	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवगंज
04	26.07.2025	श्रीमती सलोनी सक्सेना	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड़
05	27.07.2025	श्री दीपांशु आर्य	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड़

3/7/25
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही

क्रमांक– दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरोही को भेजकर सादर निवेदन है कि रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नामित अधिकारी को रिमाण्ड ड्यूटी दिवस को मुख्यालय परित्याग की अनुमति नहीं दी जावे।
2–श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय, सिरोही।
3–श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सिरोही।
4–श्रीमान् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिरोही।
5–श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, सिरोही।
6–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं. 1/2 आबूरोड/पिण्डवाडा/सिरोही।
7–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत/शिवगंज/आबूरोड।
8–प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड सिरोही।
9–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही/आबूरोड/पिण्डवाडा/रेवदर।
10–न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पिण्डवाडा
11–पुलिस अधीक्षक, सिरोही को भेजकर लेख है कि जिले के सम्बन्धित थानाधिकारीयों को इस सम्बन्ध में सूचित करें।
12–इंचार्ज पुलिस कंट्रोल रूम, सिरोही।
13–अध्यक्ष वकील मण्डल, सिरोही।
14–आदेश/संबंधित पंजिका।
15–संबंधित अधिकारी

3/7/25
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही

By-Mail

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक : 46 दिनांक : 02/07/2025

रिमाण्ड ड्यूटी आदेश

1– मैं **मुकेश चावला,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही बी.एन.एस.एस. की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **जुलाई, 2025** में होने वाले निम्न राजपत्रित अवकाशों हेतु सम्पूर्ण सिरोही जिले के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों से संबंधित आवश्यक कार्य यथा अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी/प्रोटोकोल, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अतिआवश्यक बयान, मृत्युकालिक कथन, इन्कवेस्ट आदि कार्य हेतु निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण की ड्यूटी निम्नांकित दिवस में पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक लगाई जाती है :–

क्र. सं.	अवकाश की दिनांक	नाम अधिकारी	न्यायालय का नाम
01	06.07.2025	श्री अंकुश भदोरिया	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवगंज
02	12.07.2025	श्रीमती वीना सुवालका	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही
	13.07.2025		
03	20.07.2025	श्रीमती सलोनी सक्सेना	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड़
04	26.07.2025	श्री अक्षत वर्मा	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय पिंडवाड़ा
05	27.07.2025	श्री दीपांशु आर्य	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड़

2– **प्रथमतः यदि कोई मजिस्ट्रेट अपने मुख्यालय पर है तो यथा संभव उनके द्वारा ही अपने अधिकारिता के थानों में रिमाण्ड इत्यादि दिये जायेंगे।**

3– **नियत अवकाश दिवसों के अगले दिवस पर किसी कारणवश अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश से पूर्व दिवस ड्यूटी पर रहे पीठासीन अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी रहेगी।**

4– अति आवश्यक होने पर ही रिमाण्ड ड्यूटी को परिवर्तन करने का निवेदन किया जावे। रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा जब तक कि अति आवश्यक स्थिति के कारण रिमाण्ड हेतु नामित अधिकारी के प्रार्थना पत्र के साथ या पृथक से उनके स्थान पर अन्य अधिकारी का सहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

5– प्रशासनिक कारणों से ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

6– **रिमाण्ड ड्यूटी के दिन संबंधित अधिकारी स्वयं के न्यायालय में समय सुबह 11 ए.एम. से 01 पी.एम. तक उपस्थित रह कर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे एवं आवश्यकतानुसार कर्मचारीगण को पाबंद कर सकेंगे।**

2/7/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही

क्रमांक : दिनांक :

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1–श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरोही को भेजकर सादर निवेदन है कि रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नामित न्यायालय के अधिकारी को रिमाण्ड ड्यूटी दिवस को मुख्यालय परित्याग की अनुमति नहीं दी जावे।

2–श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय, सिरोही।

3–श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सिरोही।

4–श्रीमान् न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिरोही।

5–श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, सिरोही।

6–श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 01/02 आबूरोड/पिण्डवाडा/सिरोही।

7–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत/शिवगंज/आबूरोड।

8–प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड सिरोही।

9–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही/आबूरोड/पिण्डवाडा/रेवदर।

10–न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पिण्ड़वाडा।

11–पुलिस अधीक्षक, सिरोही को भेजकर लेख है कि वह जिले के समस्त थानाधिकारियों को इस आदेश की प्रति प्रेषित कर सूचित करे तथा उन्हें आदेश में वर्णित निर्धारित समय पर रिमाण्ड व अन्य प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देवे तथा अति–आवश्यक स्थिति में ही निवास पर रिमाण्ड पेश किया जावे।

12–इंचार्ज पुलिस कंट्रोल रूम, सिरोही।

13–अध्यक्ष वकील मण्डल, सिरोही।

14–आदेश/संबंधित पंजिका।

15–संबंधित अधिकारी।

21/7/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही